

022

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टगण के अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी एवं रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता श्री गुरचंद जागिड़ उपरिणत। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दरजावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2020 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि संगत नहीं है। अपीलान्ट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलान्टगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है या बेचान/हस्तांतरण किया जाता है तो अपीलान्ट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में है। अतः अपीलान्टगण का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंट के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल दावा के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण में रहते रेस्पोंडेंट के कब्जे काश्त में अपीलान्टगण द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है या भूमि का बेचान/हस्तांतरण किया जाता है तो अपीलान्टगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्टगण द्वारा पेश शपथ-पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का निस्तारण करे तब तक न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2020 यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

मामला तामील अधिकारी
20/11/2022